

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड
अधिप्राप्ति/उपार्जन हेतु किसान पंजीयन फॉर्म (KMS 2020-21)
किसान द्वारा भरा जायेगा

परांसीदा अधिप्राप्ति/उपार्जन केन्द्र का नाम :-		
1. ग्राम का नाम :-		जिला :-
2. किसान का नाम :-		प्रखण्ड :-
3. किसान के पिता/पति का नाम :-		ग्राम/पंचायत :-
4. मोबाईल सं० :-		लिंग :-
5. वर्ग (SC/ST/OBC/GENERAL) :-		
6. स्वयं की ऋणपुस्तिका क्रमांक/वन अधिकार पट्टा नंबर (यदि है तो) :-		किसान का पासपोर्ट साईज फोटो
7. आधार संख्या :-		
8. मतदाता पहचान संख्या (EPIC No.) :-		
9. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) (यदि है तो) :-		
10. किसान के बैंक का नाम :-		
11. बैंक शाखा का नाम :-		
12. किसान का बैंक खाता संख्या :-		IFSC :-

13. किसान के खाते की भूमि का विवरण

अंचल	हल्का	भाग संख्या रजिस्टर II	खसरा क्रमांक	फसल का नाम	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	रकबा जिसमें उपार्जन का फसल बोई गयी है (हैक्टेयर में)		उपार्जन की संभावित मात्रा (क्वींटल में)		
						सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	योग

14. किस तिथि को उपज दिया जाना संभावित है :-

15. स्वघोषणा :-

मैं..... पिता/पति.....उम्र यह सत्यापित करता/करती हूँ कि मैं झारखण्ड का किसान हूँ और उपरोक्त पंजीयन फार्म में दी गयी जानकारी पूर्णतः सत्य है। यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अपने जमीन का पंजीयन अन्य किसी खरीदी केन्द्र पर नहीं कराया है। मैं सहमत हूँ कि मेरे द्वारा उपार्जन केन्द्र पर दी गयी फसल के लिए भुगतान उपरोक्त कड़िका 12 में दिये गये बैंक खाते में सीधे जमा की जाए।

किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा :-

दिनांक :-

16. नोट :-

- पंजीयन केन्द्र पर पंजीयन होने के बाद आपको एक प्रावधानिक रसीद तुरंत दी जाएगी, जिसमें किसान का यूनिक आवेदन क्रमांक व उसका उपार्जन केन्द्र अंकित रहेगा।
- उपार्जन अवधि के दौरान गांव के लिए निर्धारित सर्विस एरिया में खरीदी केन्द्रों पर आने की तिथि का एस०एग०एस० अलर्ट किसान को यथासमय प्राप्त होगा।
- किसान को आधार कार्ड की छायाप्रति, अद्यतन बैंक पासबुक की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति एवं जमीन संबंधी कागजात पंजीयन फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- CO/SDM अपने निर्धारित प्रतिशत का सत्यापन कर हस्ताक्षर करेंगे।

अंचल कार्यालय द्वारा भरा जायेगा

1. अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापन की जानकारी

अंचल	हल्का	भाग संख्या रजिस्टर II	खसरा क्रमांक	फसल का नाम	रकबा (हैक्टेयर में)	रकबा जिसमें उपार्जन का फसल बोई गयी है (हैक्टेयर में)		उपार्जन की संभावित मात्रा (क्वींटल में)		
						सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	योग

2. *किसान का भूमि के अनुसार प्रकार (Marginal/Small/Semi Medium/Medium/Large)

*

Marginal	Small	Semi Medium	Medium	Large	Total
< 1 hectare	1-2 hectare	2-4 hectare	4-10 hectare	> 10 hectare	
< 2.471 acres	2.471-4.942 acres	4.942 -9.884 acres	9.884-24.71 acres	> 24.71 acres	

जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा भरा जायेगा

1. किसान कोड :-
2. अधिप्राप्ति/उपार्जन केन्द्र का नाम :-
3. अधिप्राप्ति/उपार्जन केन्द्र क्रमांक :-
4. प्रखण्ड का नाम :-

जिला आपूर्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर